पीएसबी को निवेश आकर्षित करने की चुनौती

हंसिनी कार्तिक

कई ब्रोकरों का मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को एक और वर्ष नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 'नेक्स्टजेन पीएसबी' करार दिए गए बैंकों के लिए यह अनुमान वित्त वर्ष 2019 के आंकड़ों पर आधारित है। इसलिए पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी), केनरा बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन बैंक को अगली तीन तिमाहियों में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उन्हें न सिर्फ यह सुनिश्चित करना होगा कि विलय प्रक्रिया आसानी से पूरी हो बल्कि उन्हें वृद्धि से अपना ध्यान हटाए बगैर यह काम करना होगा, जिससे निवेशकों का भरोसा पुनः हासिल करने के लिए बेहद जरूरी है।

विलय और पुनर्पूंजीकरण साथ साथ होने की संभावना है, जिससे इन घटनाक्रम से सही तरीके से पूंजी में इजाफा होने की संभावना है। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2019 में 7.5-8.6 प्रतिशत कॉमन इक्विटी टियर-1 (सीईटी-1) पूंजी के साथ काम करने वाले पीएनबी और यूनियन बैंक के मामले में, विश्लेषकों का मानना है कि पूंजी निवेश और विलय पूा होने के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 9.8-10.6 प्रतिशत हो जाएगी। एसएमसी कैपिटल के सिद्धार्थ पुरोहित का कहना है, 'सीईटी1 अनुपात में 90-260 आधार अंक की वृद्धि हुई है और इससे खासकर पीएसबी को बड़ी मदद मिल सकती है।'

इसके अलावा, जमा आधार भी बढ़ रहा है जिससे विलय के बाद पीएसबी को खासकर ऐसे समय में वृद्धि की पर्याप्त संभावनाएं उपलब्ध होंगी जब बैंकिंग व्यवस्था में पूंजी महंगी होती जा रही है। केनरा बैंक और इंडियन बैंक (जिनकी सस्ती चालू खाता-बचत खाता जमाओं की भागीदारी मौजूदा समय में कम है) को विलय प्रक्रिया से फायदा होने की संभावना है। विलय से शाखाओं और प्रणालियों को तर्कसंगत बनाए जाने का लागत लाभ मिल सकता है। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 2018-वित्त वर्ष 2019 के दौरान एसबीआई ने अपनी शाखाओं की संख्या में कम से कम 10 तक की कमी की और ज्यादातर कमी महानगरों में की। पूरे उधारी क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि केनरा बैंक और यूनियन बैंक संपूर्ण तालिका में महत्वपूर्ण स्थान पर होंगे।

इसके अलावा, संभावित विलय बैंकों को उन क्षेत्रों में अपनी हैसियत मजबूत बनाने के लिए भी एक मंच मुहैया कराएगा, जो अभी उनके मुख्य क्षेत्र नहीं हैं। उदाहरण के लिए, केनरा बैंक का पोर्टफोलियो अधिक कॉरपोरेट एवं आवास ऋण से जुड़ा हुआ है और उसे सिंडिकेट बैंक के विलय से छोटे व्यावसायिक ऋण की श्रेणी में अपनी उपस्थिति मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इसी तरह, पीएनबी के लिए, यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय उसकी रिटेल उपस्थिति बढ़ाने में मददगार साबित होगा। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक की लोकप्रियता को देखते हुए यूनियन बैंक दक्षिण बाजार में मजबूत होगा। इंडियन बैंक के लिए, इलाहाबाद बैंक का विलय उसे उत्तर भारतीय बाजार में पैठ बनाने में मददगार होगा। लेकिन, लागत तर्कसंगत बनाने का असर सिर्फ मध्यावधि में ही दिखेगा। लेकिन क्या दीर्घावधि लाभ पीएसबी के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बनाए रखने के लिहाज से पर्याप्त है? मैक्वेरी कैपिअल के सुरेश गणपति का कहना है कि यह काफी नहीं है।

विश्लेषकों ने संकेत दिया है कि भविष्य में नए विलय निवेशकों के लिए वैल्यू के लिहाज से चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं

वह कहते हैं, 'अब तक घोषित विलय के संदर्भ में बात की जाए तो पता चलता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अन्य बैंकों (देना बैंक और विजया बैंक) के विलय के बाद शेयर कीमतों में गिरावट देखी गई थी। इससे संकेत मिलता है कि भविष्य में होने वाले विलय मूल्य पर दबाव पैदा कर सकते हैं।'

जेएम फाइनैंशियल के विश्लेषकों का मानना है कि कर्मचारियों की तुलना में बड़े अनुपात में प्रबंधन का इस्तेमाल किया जा सकता है और संपूर्ण परिदृश्य पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। उनका कहना है, 'हम पीएसबी पर सतर्क रुख अपनाए हुए हैं।' एडलवाइस रिसर्च के विश्लेषकों का कहना है कि निवेशकों को पीएसबी के विलय को लेकर ज्यादा उत्साहित होने के बजाय सतर्कता बरतनी चाहिए।

बैंकों के विलय कितने कारगर

%	सीईटी-1	शुद्ध एनपीए	सीएएसए	सरकारी हिस्सा
पंजाब नैशनल बैंक	6.2	6.6	42.2	75.4
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	9.9	5.9	29.4	87.6
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	10.1	8.7	51.5	96.8
विलय वाली इकाई	8.6	5.6	30.2	81.4
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	8.0	36.1	6.9	74.3
आंध्रा बैंक	8.4	31.4	5.7	90.9
कॉरपोरेशन बैंक	10.4	31.6	5.7	93.5
विलय वाली इकाई	8.6	33.8	6.3	77.3
इंडियन बैंक	11.0	3.8	34.7	81.5
इलाहाबाद बैंक	9.7	5.2	49.5	85.8
विलय वाली इकाई	10.4	4.4	41.7	85.0

सीईटीः कॉमन इक्विटी टियर, एनपीएः गैर-निष्पादित आस्तियां, सीएएसएः चालू खाता-बचत खाता, जीओआईः भारत सरकार

स्रोतः एडलवाइस रिसर्च, आंकड़े वित्त वर्ष 2019 के हैं

बाजार हलचल

इस महीने सीमित दायरे में रहेगा निफ्टी!

अगस्त एक्सपायरी सीरीज में 1.8 प्रतिशत की गिरावट के बाद निफ्टी-50 अगले सप्ताहों में सीमित दायरे में बना रह सकता है और निवेशक शेयर-केंद्रित सौदों पर ध्यान दे सकते हैं। डेरिवेटिव्स विश्लेषकों का कहना है कि रोलओवर तीन महीने के औसत से नीचे रहा है। निफ्टी को गिरावट की स्थिति में 10,800-10,900 के स्तरों पर समर्थन हासिल है और यदि यह 11,150-11,200 को पार करने में सफल रहता है तो 11,500-11,600 पर पहुंच सकता है। आंकड़ों से पता चलता है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) नकारात्मक बने हुए हैं। व्यापार युद्ध को लेकर वैश्विक चिंताओं और घरेलू अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए केंद्र के कदमों से बाजार की चाल तय होगी। *- ऐश्ली कुटिन्हो*

ऊंचे विदेशी निवेश वाली कंपनियों में तेजी

एफपीआई पर कर वृद्धि को वापस लिए जाने से निफ्टी-100 की उन कई कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है, जिनमें एफपीआई का निवेश पारंपरिक तौर पर ऊंचा रहा है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनैंस कॉरपोरेशन (एचडीएफसी) में पिछले सप्ताह 6 फीसदी की तेजी आई। 30 जून तक इस शेयर में विदेशी निवेश 75 प्रतिशत था। ज्यादा एफपीआई भागीदारी वाले बैंकों - एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक के शेयरों में 3-6 प्रतिशत की तेजी आई। बाजार के तेज ध्रुवीकरण और संस्थागत निवेशकों द्वारा कुछ खास कंपनियों पर ध्यान दिए जाने से ये शेयरों को एफपीआई प्रवाह में किसी तरह की तेजी का लगातार लाभ मिल सकता है। *- ऐश्ली कुटिन्हो*

एफपीआई, एमएफ को भा रही गृह फाइनैंस

सेकंडरी बाजार में गृह फाइनैंस में एचडीएफसी की 9 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री में म्युचुअल फंडों, वैकल्पिक निवेश फंडों और एफपीआई की अच्छी दिलचस्पी देखी गई। एबरडीन, नोमुरा, गोल्डमैन सैक्स, टी रोवे और अन्य एफपीआई ने गृह फाइनैंस के 1000 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे जबकि ऐक्सिस एमएफ, एसबीआई एमएफ, बीएनपी पारिबा एमएफ और कोटक एमएफ ने इसमें 252 करोड़ रुपये का निवेश किया। *- जश कृपलानी*

अपनी प्रति के लिए

Call 022 4027 5432 or SMS reachbs to 57575 or email us at order@bsmail.in

बिज़नेस स्टैंडर्ड

बेहतर बिज़नेस वो, जो आपकी भाषा में हो

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा-II, 11वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली-110001, ईमेल : sbi.50950@sbi.co.in, फोन : 011-23701208, 011-23701209

सरफासी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन भारतीय स्टेट बैंक, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित धारा 13(12) के नियम 3 के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत निम्नलिखित **कर्जदारों को निम्नांकित दिनांको को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।**
कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतदद्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का **सांकेतिक** कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 4 उक्त नियमो के (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत लिया है।
विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन भारतीय स्टेट बैंक, **के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि और साथ में भविष्य का ब्याज साथ में आकस्मिक खर्चें, लागत प्रभार इत्यादि सहित** के अधीन होगा।

खाते / कर्जदार का नाम एवं पता	बंधक/प्रभारित सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि
मैसर्स रेज़ पॉवर एक्सपर्ट प्रा. लि., पंजी. एवं प्रशासनिक कार्यालय, चौथा तल, शील मोहर प्लाज़ा सी-स्कीम, जयपुर, **श्री राहुल गुप्ता पुत्र श्री आर पी गुप्ता (गारंटर)** निवासी : प्रथम तल पर फ्लैट, प्लॉट नं. बी-94, सर्वोदय एन्क्लेव, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली। **श्रीमती निधि गुप्ता पत्नी श्री राहुल गुप्ता (गारंटर)** निवासी : प्रथम तल पर फ्लैट, प्लॉट नं. बी-94, सर्वोदय एन्क्लेव, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली, (गारंटर)	**सायिम्क बंधक (विस्तारित प्रभार, पहले से ही हाउसिंग ऋण के समक्ष बंधक) रिहायशी फ्लैट प्रथम तल, प्लॉट नं. बी-94, यह सम्पत्ति श्री राहुल गुप्ता और सुश्री निधि गुप्ता के नाम पर है।**	10-08-2017 28-08-2019	रु. **46,55,29,803/-** और दिनांक 09.08.2017 से अर्जित ब्याज, लागत, इत्यादि

दिनांक : 28.08.2019 स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

RELIANCE HOME FINANCE LIMITED

शाखा कार्यालयः 260-261, देव हाऊस, त्रिभुवन कॉम्पलैक्स, न्यू फ्रैंड्स कालोनी (वेस्ट), ईश्वर नगर, नई दिल्ली-110065
पंजीकृत कार्यालयः रिलाइंस सेन्टर, 6वां तल, साउथ विंग, निकट प्रभात कालोनी, सांताक्रूज (ईस्ट), मुंबई-400055

मांग सूचना

जैसे कि अधोल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं ने रिलाइंस होम फाइनेंस लि. से वित्तीय सहायता प्राप्त की थी। हम बताते हैं कि वित्तीय सहायता प्राप्त करने के बावजूद कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं ने देय तिथियों के अनुसार ब्याज व मूलधन राशियों के पुनर्भुगतान में विभिन्न चूकें की हैं। नेशनल हाऊसिंग बैंक द्वारा परिसंपत्ति वर्गीकरण के संबंध में जारी निर्देशों के अनुपालन में यहाँ नीचे उल्लिखित संबंधित तिथियों को आरएचएफ की बहियों में खाते को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, फलस्वरूप रिलाइंस होम फाइनेंस लि. के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सरफासी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत यहाँ नीचे उल्लिखित संबंधित तिथियों को मांग सूचनाएं जारी की थी जिसमें निम्नलिखित कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं से सूचनाओं में उल्लिखित राशियों को सूचना में उल्लिखित राशियों पर भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दर से आगे की ब्याज और प्रासंगिक व्ययों, लागत, प्रभारों आदि सहित सूचनाओं की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए कहा।
उनके अंतिम ज्ञात पतों पर उनको जारी सूचनाएं बिना सुपुर्द हुए वापस लौट आईं और एतद्वारा उनकी सूचना सार्वजनिक सूचना द्वारा दी जाती है।

कर्जदार का नाम/पता	सह-कर्जदार और जमानती का नाम	एनपीए की तारीख	मांग सूचना की तारीख	बकाया राशि	ऋण राशि	प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का संपत्ति पता
सिबोईलाल खोंगसाई प्लाट नं. 60, टाईप 3टी/एफ एसपीजी कॉम्पलैक्स, सेक्टर 8, द्वारिका, दिल्ली-77	लहनीहट सिथहाउ	7 अगस्त, 2019	12 अगस्त, 2019	रु. 31,91,148/- 9 जुलाई, 2019 को (ऋण खाता नं. RHHLDEL000052505 के विरुद्ध)	रु. 31,45,000/-	संपत्ति प्लाट नं. बी-268, भूतल, ब्रज विहार, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201011 के समस्त भाग व खंड
धर्मेन्दर पवार, एच.नं. सी-122, गली नं. 7, राजीव नगर, लिबासपुर, समयपुर, दिल्ली बादली-110042	अर्चना पवार, अंजनी पॉलीमर्स, वरुण फ्रेट कैरियर्स	10 अगस्त, 2019	12 अगस्त, 2019	रु. 30,51,273/- 9 अगस्त, 2019 को (ऋण खाता नं. RHLPDEL000063281 के विरुद्ध) और रु. 29,48,435/- 9 अगस्त, 2019 को (ऋण खाता नं. RHLPDEL000063282 के विरुद्ध)	रु. 30,00,000/-	संपत्ति सी-1/48, गली नं. 19, ओल्ड नं. सी-280, ब्लॉक-सी, खजूरी खास, नई दिल्ली-110094 के समस्त भाग व खंड

उपरोक्त परिस्थितियों में उपरोक्त कर्जदारों, सह-कर्जदारों और/ या इनके जमानतियों (जहाँ भी लागू हो) से एतद् द्वारा ऊपर उल्लिखित बकाया राशि को आगे की ब्याज और लागू प्रभारों सहित इस सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा इस सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के बाद वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) और इसके लागू नियमों के तहत कर्जदारों और बंधककर्ताओं की प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का कब्जा लेने सहित प्रत्याभूत परिसंपत्तियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जायेगी। **कृपया नोट करें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत कोई भी कर्जदार प्रत्याभूत लेनदार की बिना लिखित अनुमति के इस सूचना में उल्लिखित अपनी प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्य किसी तरीके से हस्तांतरित नहीं करेंगे।**

स्थानः दिल्ली/एनसीआर
दिनांकः 02.09.2019

हस्ता./-, प्राधिकृत अधिकारी,
रिलाइंस होम फाइनेंस लिमिटेड

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा-II
11वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली-110001
ईमेल : sbi.50950@sbi.co.in, फोन : 011-43179574

ई-नीलामी बिक्री सूचना

परिशिष्ट IV-क, (नियम 8(6) का परन्तुक देखें) अचल सम्पत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को और विशेष रूप से उधार लेने वाला और प्रत्याभूति - दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास दृष्टिबंधक/गिरवी/प्रभारित है, का वास्तविक कब्जा, (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर निम्नवर्णित कर्जदारों/गारंटर्स और बंधककर्ताओं को प्रत्याभूत - दाता (भारतीय स्टेट बैंक) से - प्रतिभूत लेनदार की नीचे वर्णित रुपए की बकाया राशि की वसूली हेतु दिनांक 18.09.2019 को बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य और अग्रिम धनराशि नीचे वर्णित रूपए होगी।

क्र. सं.	कर्जदार (बी)/गारंटर (रों) (जी)/ कार्पोरेट गारंटर (रों) (सीजी)/ का नाम पता/पते सहित	नीलामी के अधीन आवृत्त प्रभारित प्रतिभूति का पता	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि (आरक्षित मूल्य का 10%) / वृद्धि राशि	बकाया राशियां जिसकी वसूली हेतु सम्पत्ति बेची जा रही है	सम्पत्ति का स्थल पर निरीक्षण करने हेतु तिथि एवं समय एवं प्राधिकृत अधिकारी का नाम	ई-नीलामी की तिथि व समय
1	मैसर्स तेलू राम अमर चंद एण्ड कम्पनी प्रोपराईटर श्री अमर चंद गुप्ता कर्जदार का पताः 2647, नया बाजार, दिल्ली-110006 गारंटर्सः श्री अमर चंद गुप्ता, श्री राम लाल गुप्ता श्री राज कुमार गुप्ता, पताः 4116, नया बाजार, दिल्ली-110006 कार्पोरेट गारंटरः मैसर्स करनव फूड्स प्रा. लि., जे.टी. एग्रो फूड्स प्रा. लि., पताः सी-42/3, लॉरेंस रोड, औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110035	भूतल पर दुकान नं. 4111 और 4153, साथ में निर्मित मैजेनाईन, क्षेत्रफल 66.32 वर्ग मी., बिना छत के अधिकार, ब्रन बस्टन रोड, नया बाजार, दिल्ली-110006 मे स्थित, यह सम्पत्ति मैसर्स तेलू राम अमर चंद एण्ड कम्पनी के नाम पर है।	₹ 3.70 करोड ₹ 37.00 लाख ₹ 1.00 लाख	रु. 46,65,98,812.57 दिनांक 30.03.2017 तक, दिनांक 30.03.2017 तक ब्याज की गणना प्लस दिनांक 31.03.2017 से भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चो, लागत, प्रभार इत्यादि सहित उत्तदायी कर्जदारः मैसर्स तेलू राम अमर चंद एण्ड कम्पनी, मांग सूचना की तारीख : 17.04.2017	07-09-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अर्पाह्न 03.30 बजे तक प्राधिकृत अधिकारी : सुश्री शालिनी शर्मा मो. नं. 9560045108	18-09-2019 दोपहर 12.00 बजे से अर्पा. 01.00 बजे तक, प्रत्येक 5 मिनट के आसीमित विस्तार
2	1) मैसर्स डीलक्स कोल्ड स्टोरेज़ एण्ड फूड प्रोसेसर लि. 2. मैसर्स श्री बाँके बिहारी फूड प्रोसेसर प्रा. लि. कर्जदार का पताः सी-12, लॉरेन्स रोड, औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110035 निदेशक/ गारंटर्सः (1) श्री अमर चंद्र गुप्ता (2) श्री राम लाल गुप्ता (3) श्री राज कुमार गुप्ता	फैक्ट्री भूमि एवं भवन जोकि प्लॉट नं. सी-12, ब्लॉक-सी, पॉकेट -X लॉरेंस रोड, औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110035 में स्थित, क्षेत्रफल 3784 वर्ग गज, यह सम्पत्ति मैसर्स डीलक्स कोल्ड स्टोरेज़ एण्ड फूड प्रोसेसर लि.	₹ 34.11 करोड ₹ 341.10 लाख ₹ 1.00 लाख	भारतीय स्टेट बैंक को मैसर्स डीलक्स कोल्ड स्टोरेज़ एण्ड फूड प्रोसेसर लि. का बकाया रु. 54,76,11,372.26 दिनांक 30.03.2017 तक प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चें इत्यादि ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को रु. 49,03,38,531.30 दिनांक 28.02.2017 प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चें इत्यादि, मांग सूचना की तारीख : 26.04.2017 भारतीय स्टेट बैंक को मैसर्स श्री बाँके बिहारी फूड प्रोसेसर प्रा. लि. का बकाया रु. 41,62,25,589.92 दिनांक 30.03.2017 तक साथ में 30.03.2017 तक ब्याज की गणना प्लस संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चें, लागत, प्रभार इत्यादि	07-09-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अर्पाह्न 03.30 बजे तक प्राधिकृत अधिकारी : सुश्री शालिनी शर्मा मो. नं. 9560045108	18-09-2019 दोपहर 12.00 बजे से अर्पा. 01.00 बजे तक, प्रत्येक 5 मिनट के आसीमित विस्तार
3	मैसर्स श्री बाँके बिहारी एक्सपोर्टस् लि. पंजीकृत कार्यालयः 2647, नया बाजार, दिल्ली-110006 गारंटर्स : 1. श्री अमर चंद गुप्ता 2. श्री राम लाल गुप्ता 3 श्री राज कुमार गुप्ता 4 श्रीमती शकुंतला देवी कर्जदार / गारंटरों का पत्राचार हेतु पताः 4116, नया बाजार, दिल्ली-110006 5. मैसर्स फॉर्च्यून इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज प्रा. लि. (कॉर्पोरेट गारंटर) सी-42, लॉरेन्स रोड, औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110035	क्र.सं 1. फैक्ट्री भूमि एवं भवन जोकि प्लॉट नं. 2253-2257, फेज़-II, फूड पार्क, एचएसआईआईडीसी औद्योगिक ईस्टेट, राई, सोनीपत में स्थित, क्षेत्रफल 20250 वर्ग मी. उपरोक्त स्थान पर प्लांट एवं मशीनरी 2. फैक्ट्री भूमि एवं भवन जोकि प्लॉट नं. सी-43/5, लॉरेन्स रोड, औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली में स्थित, क्षेत्रफल 800 वर्ग गज. क्र.सं. 1 से 2 की सम्पत्तियों का मालिकाना हक मैसर्स श्री बाँके बिहारी एक्सपोर्टस् लि.	1. लॉट-I: ₹ 59.50 करोड़ / ₹ 595.00 लाख / ₹ 1.00 लाख; लॉट-II: ₹ 17.04 करोड़ / ₹ 170.40 लाख / ₹ 1.00 लाख; लॉट-III: ₹ 42.46 करोड़ / ₹ 424.60 लाख / ₹ 1.00 लाख 2. ₹ 9.00 करोड़ ₹ 90.00 लाख ₹ 1.00 लाख	रु. 648,43,85,543.75 (रु. छः सौ अडतालीस करोड तैतालीस लाख पिच्चासी हजार पाँच सौ तैतालीस और पैसे पिच्चहत्तर मात्र) साथ में भविष्य का ब्याज, आकस्मिक खर्चो, लागत, प्रभार इत्यादि सहित उत्तदायी कर्जदारः मैसर्स श्री बाँके बिहारी एक्सपोर्टस् लि (एसबीआई लीड कंसोर्टियम सदस्य बैंकों को देय) मांग सूचना की तारीख : 01.05.2017	07-09-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अर्पाह्न 03.30 बजे तक प्राधिकृत अधिकारी : सुश्री शालिनी शर्मा मो. नं. 9560045108	18-09-2019 दोपहर 12.00 बजे से अर्पा. 01.00 बजे तक, प्रत्येक 5 मिनट के आसीमित विस्तार
4	मैसर्स एजीएच वायर्स प्रा. लि. (कर्जदार) प्लॉट नं. 1, सैक्टर-16, एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रियल ईस्टेट, बहादुरगढ़, जिला झज्जर हरियाणा- 124507 और गारंटर्स : श्री मनीष गोयल श्री अंगद सिंह मैसर्स फैस्टन कैबल्स् प्रा. लि., श्री गुरविन्दर पाल सिंह	फैक्ट्री भूमि एवं भवन जिसका क्षेत्रफल 4050 वर्ग मी. (4843.8 वर्ग गज), प्लॉट नं. 1, सैक्टर-16, एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रियल ईस्टेट, बहादुरगढ़, जिला झज्जर हरियाणा-124507 में स्थित और उपरोक्त स्थान पर प्लांट एवं मशीनरी (विनिर्माण और तांबे और एल्यूमीनियम तार के ईनेमलिंग) टाईटल डीड होल्डर्स का नाम: मैसर्स एजीएच वॉयर्स प्रा. लि.	Lot I: ₹ 29.30 करोड़ / ₹ 293.00 लाख / ₹ 1.00 लाख; Lot II: ₹ 12.76 करोड़ / ₹ 127.60 लाख / ₹ 1.00 लाख; Lot III: ₹ 16.54 करोड़ / ₹ 165.40 लाख / ₹ 1.00 लाख	रु. 32,85,11,430.41 दिनांक 31.12.2017 तक, और दिनांक 01.01.2018 से संविदात्मक दर भविष्य का ब्याज, साथ में उपरोक्तानुसार राशि आकस्मिक खर्चो, लागत, प्रभार इत्यादि सहित	07-09-2019 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अर्पाह्न 03.30 बजे तक प्राधिकृत अधिकारी : सुश्री शालिनी शर्मा मो. नं. 9560045108	18-09-2019 दोपहर 12.00 बजे से अर्पा. 01.00 बजे तक, प्रत्येक 5 मिनट के आसीमित विस्तार

संपत्तियों की बिक्री हेतु प्राथमिकता जहां प्लांट एवं मशीनरी की नीलामी भी की जाएगीः
(1) फैक्ट्री भूमि और भवन के साथ प्लांट एवं मशीनरी - लॉट 1
(2) प्लांट एवं मशीनरी - लॉट 2, (3) फैक्ट्री भूमि एवं भवन - लॉट 3
लॉट 2 की नीलामी सफल होने के पश्चात ही लॉट 3 की नीलामी की जाएगी और लॉट 3 को तभी हस्तांतरित किया जाएगा, जबकि उसपर से प्लांट एवं मशीनरी पूर्णरूप से हटा ली जाएगी।

अनुरोध पत्र, केवाईसी दस्तावेजों, पैन कार्ड, ईएमडी जमा करने का प्रमाण आदि जमा करने की तिथि व समय दिनांक **16-09-2019** अर्पाह्न **4.00** बजे तक या उस से पहले (हार्ड कॉपी) व्यक्तिगत रूप से और ऑनलाइन माध्यम से RTGS/NEFT

भावी बोलीदाता धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट/आर टी जी एस/एन ई एफ टी के रुप में खाता संख्या **65156762491**,, भारतीय स्टेट बैंक तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा-II, नई दिल्ली, आई एफ एस सी कोड़ **SBIN0017891** में जमा करें यदि धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा जमा करते है तो "भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा-II, नई दिल्ली के पक्ष में जो कि नई दिल्ली में देय हो, व किसी राष्ट्रीकृत या शिडयूल बैंक में बना हो जमा करें।

ई-नीलामी हेतु नियम व शर्तेः-

1. ई-नीलामी "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर ऑन लाईन आयोजित की जायगी। यह नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता M/s C1India Pvt. Ltd. हेल्पलाईन नं. 0124-4302020 to 24 के माध्यम से वेबपोर्टल https://www.bankeauctions.com पर ऑनलाईन संचालित की जायेगी। ऑनलाईन नीलामी बिक्री के अन्तर्गत ई-नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणापत्र, समान्य नियम व शर्तें आदि निविदा दस्तावेज इन वेबपोर्टल साईट https://www.bankeauctions.com पर उपलब्ध है।
2. अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी एवं ज्ञान के अनुसार सम्पत्ति(यों) पर कोई प्रभार नही है। तथापि इच्छूक बोलीदाता(ओं) को, ऋणभार, नीलामी में रखी गयी सम्पत्ति(यों) के स्वामित्व तथा सम्पत्ति(यों) को प्रभावित करने वाले दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के संबन्ध में अपनी स्वयं स्वतन्त्र जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पूर्व कर लेनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता/वचनबद्धता निर्मित नही करता है और न ही कोई वचनवद्धता/प्रतिवद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जायेगा। सम्पत्ति(यों) की बिक्री बैंक को ज्ञात या अज्ञात वर्तमान विद्यमान एवं भावी प्रभारो/ऋणभारो के साथ की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी /प्रतिभूत लेनदार किसी तृतीय पक्ष के दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
3 सफल बोलीदाता की धरोहर राशि जमा (ईएमडी) बिक्री प्राप्ति के भाग के रूप में रोक कर रखी जाएगी तथा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। धरोहर राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य की 25 प्रतिशत राशि, पहले अदा की गई ईएमडी समायोजित करने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के तुरन्त बाद जमा करनी होगी तथा शेष राशि बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान में चूक की स्थिति में पहले जमा की गई राशि जब्त मान्य होगी और सम्पत्ति की नीलामी नए सिरे से की जाएगी तथा चूककर्ता बोलीदाता का सम्पत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार मान्य नहीं होगा।
4. यह ई-नीलामी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002 के अन्तर्गत निर्धारित नियमों/शर्तों के अनुसार की जायेगी।
5. ई-नीलामी के अन्य नियम व शर्ते निम्नलिखित वेबसाईटों पर प्रकाशित की गई है : https://www.sbi.co.in/portal/web/home and https://www.bankeauctions.com

तिथि : 02.09.2019, स्थान : नई दिल्ली — हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

SHIVAM AUTOTECH LTD

शिवम ऑटोटेक लिमिटेड
सीआईएनः L34300HR2005PLC081531
पंजीकृत कार्यालयः 10, पहली मंजिल, टावर-ए, एमार डिजिटल ग्रीन्स, सेक्टर-61, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, गुरुग्राम, हरियाणा - 122102
टेलीफोनः 0124-4698700; फैक्सः 0124-4698798
ई-मेलः info@shivamautotech.com; वेबसाइटः www.shivamautotech.com

14वीं वार्षिक साधारण बैठक, पुस्तक बंदी तथा ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के शेयर धारकों की चौदहवीं वार्षिक आम बैठक (14वीं एजीएम) का आयोजन बुधवार, 25 सितम्बर 2011 को 12:00 बजे दोपहर, क्लब निर्वाणा पैसिओ, ब्लॉक के, निर्वाणा कन्ट्री, सेक्टर -50, गुरुग्राम -122018, हरियाणा में एजीएम की सूचना में निहित व्यवसाय का सम्पादन करने हेतु किया जाएगा।

14वीं एजीएम की सूचना, जिसमें निष्पादित किए जाने वाले साधारण एवं विशेष व्यवसाय(यों) का ब्यौरा है, सहित वित्तीय वर्ष 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट सभी सदस्यों को, कम्पनी/डिपॉजिटरी सहभागी के साथ पंजीकृत ई-मेल पते पर तथा अन्य सभी सदस्यों को, व्यक्तिगत तौर पर, कम्पनी के साथ उनके पंजीकृत पते पर प्रेषित कर दिया गया है। सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट का भौतिक/ई-मेल प्रेषण 31 अगस्त 2019 को पूरा कर लिया गया है। सदस्य सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् www.shivamautotech.com से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सदस्य इसकी एक प्रति कम्पनी को shivani@shivamautotech.com पर अथवा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के पते पर लिखकर भी प्राप्त कर सकते हैं।

आगे, एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबन्धन एवं संचालन) नियम, 2014, यथा संशोधित, के नियम 20 एवं सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी (एलओडीआर) विनियम") के विनियम 44 के अनुपालन में कम्पनी अपने सदस्यों को सेन्ट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के द्वारा प्रदान किए जाने वाले ई-वोटिंग प्लैटफॉर्म के माध्यम से बैठक स्थल से दूर रहकर 14वीं एजीएम की सूचना में निहित व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोट (रिमोट ई-वोटिंग) करने की सुविधा प्रदान कर रही है।

रिमोट ई-वोटिंग अवधि रविवार, 22 सितम्बर 2019 को प्रातः 9:00 बजे आरम्भ होगी तथा मंगलवार, 24 सितम्बर 2019 को संध्या 5:00 बजे समाप्त होगी। सीडीएसएल द्वारा 24 सितम्बर 2019 को संध्या 5:00 बजे के पश्चात् रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रीय कर दिया जाएगा।

रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से तथा बैठक में वोटिंग हेतु सदस्यों की योग्यता के निर्धारण के लिए कट-ऑफ तिथि बुधवार, 18 सितम्बर 2019 है। यदि कोई सदस्य बैठक की सूचना के प्रेषण के पश्चात् कम्पनी का सदस्य बनता है एवं कट-ऑफ तिथि अर्थात् 17 अगस्त 2019 को शेयर धारक हो, वह helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक आवेदन भेजकर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकता है।

वह सदस्य जिनकी पहुँच रिमोट ई-वोटिंग सेवा तक नहीं है वे एजीएम की सूचना में निहित प्रस्तावों के सम्बन्ध में सूचना के साथ संलग्न मत-पत्र के माध्यम से, जो कम्पनी की वेबसाइट shivani@shivamautotech.com पर भी उपलब्ध है, वोट कर सकते हैं। **वह सदस्य जो बैठक में उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु अधिकृत है उसे अपने बजाए उपस्थित होने एवं मतदान करने हेतु एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी अधिकार है एवं प्रॉक्सी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। विधिवत क्रियान्वित प्रॉक्सी बैठक के निश्चित समय से कम-से-कम 48 घंटे पूर्व कम्पनी के साथ पंजीकृत हो जाने चाहिए।**

वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पूर्व ई-वोटिंग अथवा मत-पत्र के माध्यम से वोट कर दिया हो, वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं परन्तु उन्हें पुनः वोट करने का अधिकार नहीं होगा। सदस्य केवल एक वोटिंग माध्यम का उपयोग कर सकते हैं अर्थात् रिमोट ई-वोटिंग अथवा बैलट फॉर्म द्वारा। यदि सदस्य दोनों माध्यम से वोट करते है तो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से किया गया वोट अभिभावी माना जाएगा एवं मत-पत्र के माध्यम से किया गया वोट अमान्य होगा।

एजीएम में मत-पत्र द्वारा वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी एवं वह सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग अथवा मत-पत्र के माध्यम से मतदान नहीं किया हो वे एजीएम में वोट कर सकते हैं।

आगे यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबन्धन एवं संचालन) नियम, 2014, यथा संशोधित, एवं सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुपालन में कम्पनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण पुस्तकें वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से मंगलवार, 17 सितम्बर 2019 से बुधवार, 25 सितम्बर 2019 (दोनों दिवस सम्मिलित) तक बन्द रहेंगे।

कम्पनी के निदेशक मंडल (मंडल) ने 8 अगस्त 2019 को आयोजित इसकी बैठक में श्री सतेन्दर कुमार (सदस्यता संख्या F4087), सतेन्दर कुमार एंड एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरी, गुरुग्राम को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तौर पर मतदान प्रक्रिया (भौतिक तथा रिमोट ई-वोटिंग) के संचालन हेतु विधि के अनुसार संवीक्षक नियुक्त किया है।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग से संबंधित किसी प्रश्न अथवा मुद्दे के सम्बन्ध में कृपया www.evotingindia.com के हेल्प खण्ड में उपलब्ध Frequently Asked Questions ('FAQs') एवं रिमोट ई-वोटिंग पुस्तिका संदर्भित करें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल लिखें। रिमोट ई-वोटिंग से संबंधित किसी प्रश्न/शिकायत हेतु श्री राकेश दल्वी, प्रबन्धक, सेन्ट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (ई), मुंबई - 400013 या टोल फ्री नंबर 1800-200-5533 पर सम्पर्क करें।

कृते **शिवम ऑटोटेक लिमिटेड**
हस्ता./-
शिवानी कक्कड़
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या A25097

दिनांक : 31 अगस्त, 2019
स्थान : गुरुग्राम